इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 554]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2018—आश्विन 11, शक 1940

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2018

क्रमांक 01-23-2018-तीस.—यत:, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर के कार्यकलापों के कुप्रबंध के संबंध में उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट तथा सामग्री पर विचार उपरान्त राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उद्भूत हो गयी है जिसमें उक्त विश्वविद्यालय का प्रशासन राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 03 सन् 2009) के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किये बिना नहीं चलाया जा सकता है और विश्वविद्यालय के हित में ऐसा करना समीचीन है.

अतएव, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2009 (क्रमांक 03 सन् 2009) की धारा 57 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 57 की उपधारा (2), (3), (4) एवं (5) के उपबंध उक्त विश्वविद्यालय को दिनांक 03 अक्टूबर, 2018 से लागू होंगे.

No. 01-23-2018-XXX.—Whereas, after considering the report and material which has been made available regarding mismanagement of affairs of Raja Man Singh Tomar Sangit Evam Kala Vishwavidyalaya, Gwalior the State Government is satisfied that a situation has arisen in which the administration of said university cannot be carried out in accordance with the provisions of the Raja Man Singh Tomar Sangit Evam Kala Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 3 of 2009) without detriment to the interests of the university and it is expedient in the interest of the University so to do;

Now,therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Sections 57 of the Raja Man Singh Tomar Sangit Evam Kala Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 3 of 2009), the state Government, hereby, directs that the provisions of the sub-section (2), (3), (4) & (5) of Section 57 the said Adhiniyam, shall apply to the university from the date 3rd October 2018.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.